

18/6/19

पत्रावली पेश की प्रती तथा वकील प्रती को
आवाज दिली गई। बार बार आवाज लगाते
के बावजूद न्यायालय हाजिर नहीं होने
पर मोकन अदम हाजी अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है।

पत्रावली केंसल शुमार होकर नम्बर लेकम
व जास दाखिल करता है।

रुनी

रुपचन्द मजिस्ट्रेट, वातारामगढ़